परिपत्र सं0. 32/2017 - सीमा शुल्क

फा. सं. 609/64/2017-डीबीके
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड
***

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई, 2017

सेवा मे
प्रधान मुख्य आयुक्त /प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त/महानिदेशक,
प्रधान आयुक्त/आयुक्त,
सीबीईसी के तहत सभी

महोदया/महोदय,

विषय: माल और सेवा कर परिदृश्य में प्रतिअदायगी के दावे के तहत निर्यातों संबंधी स्पष्टीकरण ।

जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिअदायगी योजना के तहत उच्च अखिल औद्योगिक दरों (एआईआर) अर्थात अखिल औद्योगिक दरों की अनुसूची के कॉलम (4) और (5) के अंतर्गत उपलब्ध दरें और सीमा को तीन माह अर्थात् 1.7.2017 से 30.9.2017 की संक्रमण अवधि के लिए जारी रखा गया है (परिपत्र सं0. 22/2017-सीमाशुल्क दिनांक 30.06.2017)।

2. अधिसूचना 59/2017- सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 29.6.2017 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना 131/2016 सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 31.10.2016 के नोट और शर्त 12क द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार माल और सेवा कर अधिकारी से हासिल किए जाने वाले प्रमाण-पत्र की अपेक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों को क्षेत्रीय अधिकारियों और निर्यातकर्तओ द्वारा उजागर किया गया है । प्रमाण-पत्र का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि क्रेडिट/रिफंड और प्रतिअदायगी के माध्यम से करों का कोई दोहरा निष्परभावन न हो । तथापि, क्षेत्राधिकार माल और सेवा कर अधिकारी के बारे में स्पष्टता की अनुपस्थिति, निर्यात और माल और सेवा कर कानूनों के तहत दायर की जाने वाले अपेक्षित रिटर्न के बीच समय सीमा, आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए, माल और सेवा कर अधिकारी से उक्त प्रमाण-पत्र निर्यात के समय तुरंत उपलब्ध नहीं हो सकता है ।

3. उक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अधिसूचना 73/2017- सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 26.7.2017 द्वारा अधिसूचना 131/2016 सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 31.10.2016 के नोट और शर्त 12क में संशोधन किया है और प्रतिअदायगी की उच्च दर के दावे हेतु माल और सेवा कर अधिकारी से प्रमाण-पत्र की अपेक्षा को हटा दिया है। निर्यातों की सुविधा हेतु, प्रतिअदायगी की उच्च दर का उक्त अधिसूचना के संशोधित नोट और शर्त 12क के अनुसार निर्यातक द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्व-घोषणा के आधार पर दावा किया जा सकता है ।

4. क्योंकि अधिसूचना सं0. 131/2016- सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 31.10.2016 (यथा संशोधित) के नोट और शर्त 12क उक्त अधिसूचना की अनुसूची के अंतर्गत प्रदत्त प्रतिअदायगी की दरों के अभिन्न

भाग हैं, तद्नुसार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75(3) और सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 5(2) के अनसुार, यह नोट किया जा सकता है कि नोट और शर्त 12क में किए गए बदलाव 1.7.2017 से स्वत: ही लागू होंगे । इस प्रकार, 1.7.2017 से आगे किए गए निर्यात संशोधित नोट और शर्त 12क द्वारा अभिशासित होंगे । प्रतिअदायगी की उच्च दर के लिए 1.7.2017 से दावा किए गए सभी निर्यातों हेतु, निर्यातक को संलग्नित प्रारूप में स्व-घोषणा को प्रस्तुत किया जाना है । यह प्रारूप ईडीआई पोत-परिवहन बिल में उचित रूप से शामिल किया जा रहा है । निर्यातकों द्वारा पहले से किए गए निर्यातों के संबंध में जिसके लिए निर्यात करें आदेश को 1.7.2017 से आगे दिया गया है, निर्यातकों को पूर्व पोत-परिवहन बिलों के अन्तर्गत आने वाले निर्यात उत्पादों संबंधी मात्र एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी । यह पूर्व में दिए गए किसी प्रमाण-पत्र अथवा घोषणा, यदि कोई हो, का ख्याल किए बिना होगा ।

5. एक अन्य पहलू जिसे नोट किया जा सकता है यह है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां निर्यात माल की 1.7.2017 से पूर्व फैक्टरी, गोदाम, आदि से निकासी की गई थी किन्तु निर्यात करें आदेश को 1.7.2017 से पुर्व जारी नहीं किया गया था। ऐसे माल, माल और सेवा कर के अंतर्गत आपूर्ति नहीं हैं तद्नुसार, उक्त नोट और शर्त 12क लागू नहीं होगी। ऐसे माल हेतु, निर्यातक द्वारा घोषणा अथवा उक्त अधिसूचना सं0. 131/2016- सीमाशुल्क (गै.टे.) के नोट और शर्त 12 के अनुसार यथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से प्रमाण-पत्र, जैसा लागू हो, जारी रहेगी।

6. लेखापरीक्षा की जांच के भाग के रूप में, एआईआर प्रतिअदायगी दावों के संवितरण हेतु स्वीकृत उद्घोषणाओं की यर्थातता की नियमित नमूना जांच की आवश्यकता को बोर्ड के अनुदेश फा. सं0. 603/01/2011-डीबीके दिनांक 11.10.2013 में उजागर किया गया है । उक्त अनुदेश को उक्त उद्धृत स्व-घोषणा हेतु लेखापरीक्षा जांचों के उद्देश्य हेतु दोहराया जाता है। लेखापरीक्षा महानिदेशालय (केन्द्रीय कर) को इन इकाईयों/निर्यातकों की लेखापरीक्षा के समय प्रतिअदायगी के अंतर्गत निर्यातों के संबंध में आईटीसी/रिफंड की गैर-उपलब्धता के विषय में निर्यातकों द्वारा दी गई उद्घोषणाओं की जांच करने के लिए भी कहा जा रहा है । ये जांच सुनिश्चित करेंगी कि क्रेडिट/रिफंड और प्रतिअदायगी की समकालिक उपलब्धता द्वारा करों का दोहरा निष्पर्भावन न हो।

7. निर्यातकों की और अधिक सुविधा के क्रम में, यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लंबित प्रतिअदायगी दावों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाये और बिल्कुल देरी नहीं की स्थिति को बनाए रखा जाये। जब कभी अनुपूरक दावों को दायर किया जाता है तो उन्हे प्राथमिकता के आधार पर प्रसंस्करित किया जाना चाहिए ।

8. व्यापार-नोटिस के जारी करण के माध्यम से इन पहलुओं पर प्रचार किया जाना चाहिए और क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अवगत कराना चाहिए ।

संलग्न: यथोपरि

भ्वदीय,

(दिपिन सिंगला)
विशेष कार्य अधिकारी (प्रति अदायगी)
टेलीफोन: 23341480

<u>अधिसूचना सं0. 131/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 31.10.2016 (यथा संशोधित) के तहत एआईआर अनुसूची के कॉलम (4) और (5) के तहत शुल्क प्रतिअदायगी की उच्च दर का दावा करने के लिए स्व-घोषणा</u>

मैं/हम, मैसर्स ....., आईईसी नंबर ..... और पता ..... एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि पोत परिवहन बिल नं0 .... दिनांक ..... के तहत निर्यात उत्पादों के संबंध में, जिस पर अखिल औद्योगिक दरों की अनुसूची के कॉलम (4) और (5) के तहत प्रतिअदायगी की उच्च दर अधिसूचना सं0 131/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 31.10.2016 (यथा संशोधित) का दावा किया गया है-

क. (i) निर्यात उत्पाद पर केन्द्रीय माल और सेवा कर या एकीकृत माल और सेवा कर का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है और ना ही लिया जयेगा ,

या

(ii) निर्यात उत्पाद के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले किसी भी इनपुट या इनपुट सेवाओं पर केन्द्रीय माल और सेवा कर या एकीकृत माल और सेवा कर का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है और ना ही लिया जयेगा,

या

(iii) निर्यात उत्पाद पर भुगतान किए गए एकीकृत माल और सेवा कर का प्रतिदाय नहीं लिया जाएगा;

[कृपया (i), (ii) या (iii), जो भी लागू नहीं हो, को हटाएं।]

ख. निर्यात उत्पाद पर या निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट को केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के संदर्भ में आगे नहीं ले जाया जएगा।

निर्यातक के हस्ताक्षर, तिथि और मुहर